न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-52/2011

दयानन्द पुत्र बीरबल जाति मेघवंशी निवासी जातीमपुरा उप तहसील मलसीसर तहसील व जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16-6-2011 द्वारा अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दि0 31-7-2009 द्वारा नायब तहसीलदार मलसीसर ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री सुभाष चन्द्र एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक-24.1.18

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार के हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि दयानन्द पुत्र बीरबल जाति मेघवंशी ने सम्वत 2065 में खसरा नं0 279 रकबा 3.74 हैक्टर गै0मु0 जोहड में से 600 वर्गमीटर पर पक्के मकान बना रखे है तथा चारो तरफ डोल लगा रखी है, बाड बना रखी है । विद्वान नायब तहसीलदार ने इस पर प्रकरण दर्ज कर गैरसायल दयानन्द को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी किया जो गैर सायल पर तामिल होकर प्राप्त गैर सायल ने अपना जबाब पेश कर उक्त रकबे पर अपना 15 वर्षो से कब्जा बताया तथा ग्राम पंचायत द्वारा पटटा दिया

हुआ बताया जो गुम होना बताया । इस पर अदालत मातहत ने गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश तथा लगान का 50 गुणा अर्थ दण्ड कायम किया गया । इस आदेश के विरूद्ध गैर सायल ने विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिसे बाद सुनवाई खारिज कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की सही तरीक से व्याखया न कर अपना आदेश पारित किया है । पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की अतिक्रमण की रिपोर्ट गलत रूप से पेश की है । मौके पर अपीलान्ट का कोई अति--क्रमण नहीं है । अदालत मातहत ने मौके की कोई जांच नहीं करवाई ।मौके पर विवादित आराजी ख0नं0 279 जोहड नहीं है, बल्कि यह आराजी ग्राम जालीमपुर की पुरानी आबादी के रूप में काम आ रही है । इस आराजी पर ग्राम जालीमपुर के लोग 42 साल से भी अधिक समय से बसे हुये हैं ।इस आराजी में आबादी विस्तार हेतु सन् 1976 में प्रधान मत्री आवास योजना के तहत राशी आंवटित की गई थी जिसकी पालना में ग्रह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रिहायशी मकानों का निर्माण किया गया है ।जो अनुसूचित जाति के सदस्यों को आवंटित की गई है । जिसके पटटे ग्रह निर्माण सहकारी समिति के यहां पर गिरवी है। इस प्रकार विवादित आराजी मौके पर कोई जोहड की नहीं है ।इस आराजी पर राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के प्राव--धान लागू नहीं होते हैं । विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा पिता के समय से रहा है। इस आराजी पर धारा-91 की कार्यवाही लागू नहीं होने से इस कार्यवाही को अपीलान्ट के खिलाफ ड्रोप की जावे । पटवारी हल्का की रिपोर्ट को साबित करने के लिये न तो पटवारी हल्का के बयान लिये और न ही कोई सबूत शहादत ली गई । इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय विधि के विपरित है । इस आराजी पर बने मकान गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा निर्माण करवाकर अनुसूचित जाति के सदस्यों को

आवंटित किये गये हैं । इस प्रकार अपीलान्ट का इस आराजी पर कब्जा नियमानुसार है । विवादित आराजी मौके पर गै0मु0 जौहड की न होकर आबाद आबादी भूमि है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा पुराना है । मौके पर यह आराजी आबादी भूमि है जिस पर प्रधान मंत्री योजना के तहत गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मकान बनाकर अनुसूचित जाति के सदस्यों को आंवटित किये गये है । उसी क्रम मे अपीलान्ट इस आराजी पर पुख्ता मकान बनाकर आबाद है ।पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की अतिक्रमण की रिपोर्ट बिना किसी आधार के पेश की है जिसकी अदालत मातहत न कोई जांच किये बिना पटवारी हल्का के बयान लिये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत ने मौके की जांच नहीं करवाई यदि मौके की जांच करवा ली जाती है तो यह आराजी आबादी भूमि में पाई जावेगी । यह आराजी मौके पर किसी भी प्रकार से जौहड की नहीं है ।अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड एवं मौके का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 जोहड है जिस पर किसी का भी चाहे कितना ही पुराना कब्जा क्यों ना हो इस प्रकार की आराजी पर न तो नियमन किया जा सकता है और न ही अतिक्रमण की स्वीकृति दी जा सकती है । यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 से वर्जित है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । रिपोर्ट पटवारी हल्का में विवादित आराजी ख0नं0 279 रकबा 3.74 हैक्टर गै0मु0 जोहड दर्ज है । राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 का नोटिस अपीलान्ट व दयानन्द को स्वयं पर तामिल हुआ है । जबाब अपीलान्ट में इस आराजी पर 15 वर्ष से बसा होना बताया तथा इस आराजी का पटटा भी ग्राम पंचायत द्वारा दिया हुआ बताया किन्तु वह गुम होना बताया है । अपीलान्ट ने यह कथन अवश्य किया है कि वह इस आराजी पर 15 वर्षों से बसा हुआ है किन्तु इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं की। इस कारण इस आराजी पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा मानने का कोई आधार नहीं है। साथ ही यह आराजी गै0मु0 जोहड की दर्ज है । अपीलान्ट ने इस आराजी को आबादी भूमि बताया किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि यह आराजी आबादी भूमि है । यह आराजी गै0मु0 जोहड की है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा- 16 में वर्जित आराजी है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान नायब तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 31-7-2009 एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 16-6-2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.1.2018 को सुनाया गया ।

24/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर